



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 194-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2016 (AGRAHAYANA 8, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

तथा

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 2016

संख्या सी.सी.पी.(एन.सी.आर)/जी.जी.एन./डी.डी.पी.-2031/पी.टी.डी.-एच.एम.डी./2016/3237.- हरियाणा नगर पालिका, अधिनियम, 1973, (1973 का हरियाणा अधिनियम 24), की धारा 203-ग की उप धारा (2) तथा पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28 जनवरी, 2013 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या- सी.सी.पी.(एन.सी.आर)/ जी.जी.एन./एफ.डी.पी.-2031/पी.टी.डी.-एच.एम.डी./2013/308 दिनांक 28 जनवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित पटौदी-हेली मण्डी के अन्तिम विकास योजना, 2031 ए.डी. में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करते हैं जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 11-14, सैक्टर 4, पंचकुला, नगर समिति की सीमा के भीतर के क्षेत्र के लिए तथा निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, एस.सी.ओ. संख्या 71-75 (द्वितीय से तृतीय तल), सैक्टर-17 सी, चण्डीगढ़, नगर समिति की सीमा के बाहर के क्षेत्र के लिए लिखित रूप में किसी व्यक्ति से संशोधन प्रारूप के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्राप्त किये जाएं, पर विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या- सी.सी.पी.(एन.सी.आर)/ जी.जी.एन./एफ.डी.पी.-2031/पी.टी.डी.-एच.एम.डी./2013/308 दिनांक 28 जनवरी, 2013 में,-

I अनुबन्ध-क में 'भूमि उपयोग का विवरण' शीर्ष में, '1 रिहायशी' उप- शीर्ष में,- "तीसरी पंक्ति में, " रिहायशी सैक्टरों को औसत जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर के साथ प्रस्तावित किया गया है।" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"दोनों ओर से 20 प्रतिशत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शाई गई सैक्टर सघनता में विकसित किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डेबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी।"

II अनुबन्ध ख में, अंचल विनियम में,—

(क) 'II परिभाषाए' उप-शीर्ष में,—

- (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—
'(क) "अनुमोदित" से अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित;';
- (ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—
'(ख क) "भवन संहिता, से अभिप्राय है, हरियाणा भवन संहिता, 2016;';
- (iii) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
'(घ) "फर्श क्षेत्र अनुपात" से अभिप्राय है, सभी मंजिलों के प्लॉट क्षेत्र द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र के विभाजन द्वारा प्राप्त किया भागफल, अर्थात्:—

$$\text{फर्श क्षेत्र अनुपात} = \frac{\text{कुल आच्छादित क्षेत्र}}{\text{प्लॉट क्षेत्र}}$$

फर्श क्षेत्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, छत अनुमानों कैंटिलीवर अनुमति, लिफ्ट कमरा, ममटी, छज्जा, तहखाने यदि पार्किंग, सेवाओं और भंडारण, स्टीलट क्षेत्र (खुला) पार्किंग तथा पैदल यात्री प्लाजा, खुली सीढ़ी (ममटी के बिना), खुला आंगन के लिए उपयोग किए जाते हैं तो फर्श क्षेत्र अनुपात में गिना नहीं जाएगा;';

(iv) खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ड.) "वर्ग आवास" से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए फ्लैट के रूप में डिजाईन तथा विकसित किये गये भवन या वर्ग आवास का अनुषंगी कोई भवन;';

(v) खण्ड (थ) में, व्याख्या (3) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) उपरोक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, विनिर्दिष्ट पॉलिसी जैसे नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी के अधीन अनुमोदित परियोजनाएँ प्लॉटऐबल क्षेत्र की बजाय फर्श क्षेत्र अनुपात तथा सघनता पैरामीटर से शासित होगी;";

(vi) खण्ड (फ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(फ) "अटारी" से अभिप्राय होगा, अधिकतम 1.5 मीटर की ऊँचाई सहित अवशिष्ट

स्थल पर दो मंजिलों के बीच का मध्यवर्ती स्थल तथा जो केवल भंडारण प्रयोजन हेतु निर्मित की गई है अथवा अपनाई गई है;';

(vii) खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ब) "परछती तल" से अभिप्राय है, निम्न मंजिल का 1/2 (आधा) तक सीमित क्षेत्र सहित तथा न्यूनतम ऊँचाई 2.3 मीटर सहित दो मंजिलों के बीच कोई मध्यवर्ती मंजिल और ऊपरी मंजिल स्तर 2.3 मीटर से कम नहीं होगा;';

(ख) 'VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर' उपशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"VII सरकारी उद्यमों के माध्यम से विकसित किये जाने वाले सेक्टर:—

सरकार पूर्ण रूप से अपने द्वारा या उसकी एजेंसियों द्वारा विकास के लिए कोई सेक्टर अधिसूचित कर सकती हैं, ऐसे मामले में ऐसे सेक्टरों में भूमि उपयोग के परिवर्तन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आगे कोई भी अनुमति अनुमत नहीं की जाएगी।";

(ग) 'VIII मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण' शीर्ष में, उप पैरा (3) में, अन्त में, निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

"व्यापार योग्य फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ विनिर्दिष्ट पॉलिसी के अनुसार सेक्टर सड़क या हरित पट्टी तथा खुले क्षेत्र अंचलों के अधीन आने वाली भूमि के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध अनुज्ञात किया जा सकता है।";

- (घ) 'XIII विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लानों का न्यूनतम आकार' शीर्ष में, विद्यमान पैरा (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "(2) रिहायशी और वाणिज्यिक विकास के लिये वर्ग आवास कालोनी, प्लॉटिड रिहायशी कालोनी और वाणिज्यिक कालोनी के लिए, क्षेत्र मानदण्ड समय-समय पर अधिसूचित पॉलिसियों के अनुसार होंगे। तथापि, यदि वर्ग आवास स्कीम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ग आवास स्थल का आकार स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट होगा।";
- (ङ) 'XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र/ऊँचाई और आकार' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 "XIV विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्र/ऊँचाई और आकार विशिष्ट प्लॉट / स्थान पर अनुमत आच्छादित क्षेत्र, फर्श क्षेत्र अनुपात तथा ऊँचाई पैरामीटर, भवन संहिता / नियमों तथा / या ऐसे प्लॉट/क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित विहित पॉलिसी द्वारा शासित होगी।";
- (च) "XV भवनों की अगली ओर पिछली ओर तथा भुजा की ओर भवन पंक्ति" उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "XV भवनों की अगली ओर पिछली ओर तथा भुजा की ओर भवन पंक्ति" :-
 ये भवन संहिता/नियमों के अनुसार तथा/या ऐसे क्षेत्र के जोनिंग प्लान में यथा अधिकथित उपबन्धित होगी।";
- (छ) 'XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "XVI वास्तुकला संबंधी नियंत्रण:-
 जहां कहीं वास्तुकला सम्बन्धी नियंत्रण आवश्यक समझा जाता है, तो प्रत्येक भवन हरियाणा भवन संहिता, 2016 के खण्ड 29 के अधीन बनाये गए वास्तुकला संबंधी नियंत्रण के अनुरूप होगा।";
- (ज) 'XVIII सघनता' उप शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 "XVIII सघनता:-
 "दोनों ओर से 20 प्रतिशत की विभिन्नता सहित प्रत्येक रिहायशी सैक्टर ड्राईंग में दर्शाई गई सैक्टर सघनता में विकसित किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त नई एकीकृत अनुज्ञापन पॉलिसी, अफोर्डेबल ग्रुप हाऊसिंग पॉलिसी, दीन दयाल जन आवास योजना पॉलिसी तथा 20 प्रतिशत ग्रुप हाऊसिंग कम्पोनन्ट पॉलिसी में यथाविहित सघनता आवासीय सैक्टर में भी लागू होगी।"

आनंद मोहन शरन
 प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
 शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

एस.एस. प्रसाद,
 अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
 नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
AND
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 29th November, 2016

No. CCP(NCR)/GGN/DDP-2031/PTD-HMD/2016/3237.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 203C of the Haryana Municipal Act, 1973 (Haryana Act 24 of 1973) and sub-section (4) of section 5 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby publishes the following draft of amendment in the Final Development Plan 2031 AD, Pataudi-Haily Mandi, notified vide Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/GGN/FDP -2031/PTD-HMD /2013/308 dated the 28th January, 2013 and published in the Haryana Government, Gazette(Extra ordinary), dated the 28th January, 2013 for the information of all the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendments shall be taken into consideration by the Government on or after expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana, Bays No. 11 – 14, Sector – 4, Panchkula, for the area falling within Municipal Committee limit and Director, Town and Country Planning Department, Haryana, S.C.O. No 71-75 (Second to Third Floor), Sector-17 C, Chandigarh for the area falling outside Municipal Committee limit, from any person with respect to the draft of the amendment, before the expiry of the period so specified.

DRAFT AMENDMENT

In the Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. CCP(NCR)/GGN/FDP -2031/PTD-HMD /2013/308 dated the 28th January, 2013;-

- I. In Annexure- A , under the heading “DESCRIPTION OF LAND USES”, under sub-head “(1) RESIDENTIAL”, in the 3rd line, for words, sign and figure, “The average density of residential sectors work out to be about 250 persons per hectare.”, the following words, sign and figure shall be substituted, namely: -

“Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New Integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy. 20% Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.”

2. In Annexure- B,

- (1) under sub-head II “Definitions”,-

- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(a) “approved” means approved by the competent authority;’;

- (ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely;

‘(bb) “Building Code” means, the Haryana Building Code 2016;’;

- (iii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

‘(d) “Floor Area Ratio (FAR)” means a quotient obtained by dividing the total covered area of all floors, by the area of plot i.e.

$$\text{FAR} = \frac{\text{total covered area}}{\text{plot area}}$$

For the purpose of calculating FAR, cantilevered permitted roof projections, lift room mummy, balcony, basement if used for parking, services and storage, stilt area (unenclosed) proposed to be used for parking and pedestrian plaza only, open staircase (without mummy), open court yard of permitted size shall not be counted towards FAR;’;

- (iv) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(e) “Group Housing” means a building designed and developed in the form of flats for residential purpose or any building ancillary to group housing;’;

- (v) in clause (q), after Explanation (3), the following explanation shall be inserted, namely:-

“(4) Notwithstanding above, the projects approved under specific policy like New Integrated Licensing Policy; Floor Area Ratio and density shall be the governing parameters instead of plotable area;”

- (vi) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

‘ (v) “Loft” means an intermediate space between two floors on a residual space with maximum height of 1.5 metres and which is constructed or adopted for storage purposes only;’;

- (vii) for clause (w), the following clause shall be substituted, namely:-

‘ (w) “mezzanine floor” means an intermediate floor, between two floors, with area restricted to ½ (half) of the lower floor and with a minimum height of 2.3 metres and shall not be lower than 2.3 metres above floor level;’;

- (3) under sub head VII “Sectors to be developed exclusively through Government enterprises”, -
 (a) for the existing clauses (1) and (2), the following clause shall be substituted, namely:-
 “Government may notify any sector for development exclusively by it or by its agencies, in which case, no further permission for change of land use or grant of licence shall be permitted in such sectors.”;
- (4) under sub head VIII, “Land reservations for major roads” in sub para (3), after the words and sign “whichever is less shall be allowed”, existing at the end, the following words shall be added, namely:-
 “Benefit of tradable Floor Area Ratio, may be allowed against licences granted for the land falling under sector road or green belt and open space zones in accordance with specified policies.”;
- (5) under sub head XIII, “Minimum size of plots for various types of buildings” for clause (2) and (3), the following clause shall be substituted, namely:-
 “(2) The area norms for group housing colony, plotted residential colony and commercial colony will be in accordance with the policies specified from time to time for residential and commercial development. However, in case group Housing scheme is floated by Haryana Urban Development Authority or any other Government Agency, the size of Group Housing site shall be as specified in the scheme.”;
- (6) under sub head XIV “ Site coverage, height and bulk of building under various types of buildings”, for the existing clause, following clause shall be substituted, namely:-
 “The site coverage, Floor Area Ratio and height permitted on a specific plot/site shall be governed by the prescribed policy parameters, building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such plot/site.”;
- (7) under sub head XV “Building lines in front and rear of buildings”, for the existing clause, following clause shall be substituted, namely:-
 “These shall be provided in accordance with building code/rules and /or as laid down in the zoning plan of such site.”;
- (8) under sub head XVI “Architectural Control”, for the existing clause, following clause shall be substituted, namely:-
 “Wherever architectural control is considered necessary, every building shall conform to architectural control prepared under clause 29 of Haryana Building Code 2016.”;
- (9) under sub head XVIII “Density”, for the existing clause, the following clause shall be substituted, namely:-
 “Every residential sector shall be developed to the sector density indicated in the drawing with 20% variation on either side and in addition to it, the density as prescribed in the New integrated Licensing Policy, Affordable Group Housing policy, Deen Dayal Jan Awaas Yojna Policy. 20% of Group Housing component policy shall also be applicable in a residential sector.”.

ANAND MOHAN SHARAN,
 Principal Secretary to Government Haryana,
 Urban Local Bodies Department.

S.S. PRASAD,
 Additional Chief Secretary to Government Haryana,
 Town and Country Planning Department.